

## निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर रसायनों से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु मूल निर्माता फर्मों/कम्पनियों के दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि (Eoi) की शर्तें

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड में संचालित विभिन्न केन्द्र पोषित, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में कास्तकारों को जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर से लाभान्वित करने हेतु कीट/व्याधि नाशक रसायनों के मूल उत्पादक फर्मों/कम्पनियों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण के लिये अभिव्यक्ति की अभिरूचि (Eoi) आमन्त्रित की जाती है। जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर के पंजीकरण हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. आवेदन पत्र मात्र मूल निर्माता फर्मों (original producer) एवं उनके द्वारा आवेदन हेतु अधिकृत वितरक से ही स्वीकार किये जायेंगे।
2. पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर करना होगा। आवेदन के प्रारूप प्रपत्र-1 तकनीकी बिड के साथ आवेदन शुल्क के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट रु0 2,360.00 (18 % GST सहित) जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड के नाम रानीखेत में देय हो, संलग्न करना होगा।
3. वित्तीय बिड प्रपत्र-2 के भाग- 1 से भाग-5 तक अलग लिफाफे में मुहर बन्द हो, जिसे आवेदन के साथ जमा करना होगा।
4. पंजीकरण हेतु बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद रु0 5.00 लाख, वैधता तिथि 31.03.2023 जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो, आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
5. वर्ष 2019-20 का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रु0 50.00 करोड़ होने का सी0ए0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।
6. पंजीकरण हेतु आवेदन का प्रारूप व निर्धारित शर्तें बागवानी मिशन की वेबसाईट [www.shm.uk.gov.in](http://www.shm.uk.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है।
7. आवेदन प्रपत्र बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जिसके ऊपर जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर के पंजीकरण हेतु आवेदन अंकित हो दिनांक 27.12.2021 को सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहरादून में जमा करना होगा।
8. विभाग द्वारा गठित समिति के सम्मुख दिनांक 28.12.2021 को प्रातः 11:00 बजे पंजीकरण हेतु प्राप्त लिफाफों को खोला जायेगा।
9. वित्तीय बिड में जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर की दी गई दरों के मोल-भाव (Negotiation) हेतु दिनांक 29.12.2021 को अपराह्न 02:00 बजे फर्म/कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ विभागीय गठित कमेटी द्वारा वार्ता कर दरों का निर्धारण किया जायेगा तथा दरों की सहमति हेतु फर्म/कम्पनियों से लिखित में सहमति प्राप्त की जायेगी।
10. जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर का पंजीकरण दिनांक 31.03.2023 तक वैध होगा। परन्तु फर्म/कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये, अनिवार्य अभिलेखों की वैधता तिथि समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित नवीनीकृत अभिलेख समय पर विभाग को प्रस्तुत किये जाने होंगे। नवीनीकृत अभिलेख उपलब्ध न कराने की दशा में पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा या निरस्त समझा जायेगा।

11. पंजीकरण की जाने वाली मूल निर्माता फर्म/कम्पनी को जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की आपूर्ति हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों का पालन करना होगा।
12. भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित कीट/व्याधि नाशकों आदि का पंजीकरण नहीं किया जायेगा। अतः प्रतिबन्धित कीट/व्याधि नाशकों आदि की दरों व विशिष्टियों का अंकन नहीं किया जाय।
13. मूल निर्माता फर्म/कम्पनी को अपना लोगो (Logo), रसायनिक नाम, ब्राण्ड का नाम, प्रजाति का नाम, उत्पादन, पैकिंग की तिथि, वैधता तिथि (Expiry Date) एवं बैच नम्बर इत्यादि का विवरण आपूर्ति के समय पैकिंग पर अंकित करना अनिवार्य है।
14. Central Insecticides Board (CIB) का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की पठनीय प्रमाणित प्रति।
15. आवेदन प्रपत्र के साथ केवल वांछित प्रपत्र ही प्रस्तुत किये जायें, आवेदन के साथ रसायन का साहित्य संलग्न न किया जाय। फर्म/कम्पनी के द्वारा साहित्य को कार्यालय के संबंधित पटल सहायक/अधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जाय।
16. दरों के पंजीकरण के पश्चात् निदेशालय द्वारा गठित समिति द्वारा रसायनों का स्टाक सत्यापन किया जायेगा तथा पूरे स्टाक से सैम्पलिंग हेतु सैम्पल वैचवार/लॉटवार समिति द्वारा लिये जायेंगे। उक्त सैम्पलों के परीक्षण शुल्क का भुगतान सम्बन्धित फर्म द्वारा निदेशालय को बैंक के माध्यम से किया जायेगा, तत्पश्चात् निदेशालय द्वारा संबंधित प्रयोगशाला को उक्त भुगतान किया जायेगा।
17. रसायन/बायोफर्टीलाइजर आदि बनाने (Manufacture Licence) का प्रमाण पत्र।
18. आपूर्ति किये गये रसायन परीक्षण के बाद मानक के अनुरूप पाये जाने पर ही भुगतान क्रेता अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
19. प्रत्येक उत्पादों की पैकिंग पर केवल उद्यान विभाग के प्रयोग हेतु छपा होना चाहियें।
20. बायोफर्टीलाइजर की सेल्फ लाईफ 18 माह होने का प्रमाणपत्र।
21. किसी भी फर्म/कम्पनी द्वारा जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की न्यूनतम 3 वर्षों की उत्पादन/आपूर्ति का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
22. फर्म/कम्पनी का कार्यालय या अधिकृत विक्रेता का कार्यालय अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड में होना आवश्यक है।
23. पंजीकरण हेतु वित्तीय विड में अंकित प्रत्येक जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर के न्यूनतम पैकिंग के शील्ड पैकेट नमूने के तौर पर कार्यालय-निदेशक, बागवानी मिशन, देहरादून में जमा करना होगा।
24. फर्म/कम्पनी के विरुद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद/विधिक, अपराधिक कार्यवाही अथवा ब्लैकलिस्ट किया गया हो, जैसी भी स्थिति हो सूचित करते हुए शपथ पत्र रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप में जमा करना होगा (विवादित न होने का शपथ पत्र)।
25. जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की पैकिंग पर समाप्ति (Expiry) तिथि अंकित किया जाना होगा। जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की आपूर्ति के उपरान्त पर 9 माह से कम मान्य नहीं होगा।
26. जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की आपूर्ति के पश्चात् जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की समाप्ति तिथि (Expiry Date) तक अपने आप खराब नहीं होने की गारन्टी हेतु गारन्टी प्रदान करने, कीट व्याधि नाशकों के खराब होने पर निःशुल्क जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर को बदलना होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में घोषणा पत्र संलग्न करनी होगी।

27. विभाग द्वारा पंजीकरण हेतु EoI प्रक्रिया की तिथि व समय में बिना कारण बताए परिवर्तन/संशोधन (आंशिक या पूर्ण) या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड का होगा। किसी विवाद की स्थिति में निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा तथा वाद का क्षेत्र देहरादून न्यायालय होगा।
28. पंजीकरण की व्यवस्था को बिना कारण बताये किसी भी समय नवीनीकरण अथवा निरस्त करने की कार्यवाही का अधिकार निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड को होगा।
29. फर्म/कम्पनी को उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकृत विक्रेता का GSTIN No. का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
30. फर्म/कम्पनी द्वारा अपने तथा अपने समस्त अधिकृत विक्रेताओं के जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर का लाईसेन्स की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
31. कास्तकारों द्वारा स्वयं विभाग में पंजीकृत फर्म/कम्पनी से जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर का क्रय किया जाता है तो उसके जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर का सक्षम स्तर से भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त ही बिल/बाउचर प्राप्त होने पर नियमानुसार राजसहायता का भुगतान सम्बन्धित कास्तकार के बैंक खाते में RTGS/DBT के द्वारा किया जायेगा।
32. जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर पर देय राजसहायता की मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कृषक अपनी इच्छानुसार विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी से जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर क्रय करने हेतु स्वतन्त्र होगा। कृषकों की लिखित सहमति पर मुख्य/जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा भी जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर का क्रय कर कास्तकारों को वितरित किया जा सकता है।
33. उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में एक समान दरों पर जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टीनेशन) सहित देनी होगी, जिसके सम्बन्ध में फर्म/कम्पनी के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी।
34. आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी द्वारा समस्त अभिलेख स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने होंगे तथा पंजीकरण हेतु निधारित शर्तों पर सहमति हेतु फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।
35. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/इयूटीज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोत्तरी/परिवर्तन किया जाता है तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायेगा।
36. पंजीकरण उपरान्त फर्म/कम्पनी को जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर के प्रयोग एवं उचित परिणाम प्राप्त करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निःशुल्क प्रदान करना होगा तथा तकनीकी साहित्य निःशुल्क प्रदान करना होगा।
37. पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि फर्म/कम्पनियों द्वारा आपूर्ति/विक्रय किए गए जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी तथा बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद की धनराशि भी जब्त की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म को होगी।
38. यदि प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई फर्म/कम्पनी अनुचित कार्यों में लिप्त है तो उस फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
39. जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर की आपूर्ति के साथ जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर की टेस्ट रिपोर्ट की प्रति जनपदीय अधिकारियों को एवं अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना होगा।

4

40. देश से बाहर की कम्पनी होने पर भारत सरकार द्वारा देश में जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की आपूर्ति किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
41. फर्म/कम्पनी द्वारा जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
42. फर्म/कम्पनी द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान लाभान्वित किये गये किसानों में से कम से कम 05 किसानों के नाम, पता व मोबाईल नम्बर, जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर का नाम, प्रयोग की गई मात्रा, जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर के प्रयोग उपरान्त परिणामों एवं आपूर्ति के दिनांक सहित सूची संलग्न करनी होगी।
43. फर्म/कम्पनी को जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की Quality Assurance हेतु सक्षम स्तर से प्राप्त की परीक्षण आख्या उपलब्ध करानी आवश्यक होगी, साथ ही विभाग द्वारा भी आपूर्ति की गयी जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की आवश्यकतानुसार परीक्षण कराया जा सकता है। परीक्षण रिपोर्ट मानकानुसार न पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म को काली सूची में अंकित कर विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
44. फर्म/कम्पनी को ISO प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
45. फर्म/कम्पनी को किसान की आवश्यकतानुसार जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की आपूर्ति में कोई आपत्ति नहीं होगी।
46. कास्तकारों तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा पंजीकृत दरों से कम दरों पर आपूर्ति हेतु फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधियों से मोल-भाव (Negotiation) किया जा सकता है।
47. फर्म/कम्पनी को रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु दी जा रही दरों से कम दरों पर फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की आपूर्ति नहीं की जा रही है।
48. औद्योगिक फसलों का उत्पादन मौसम आधारित होने के दृष्टिगत जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
49. आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी को अपनी प्रोफाईल उपलब्ध करानी होगी।

### आवश्यक अभिलेखों का विवरण:-

1. पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर करना होगा। आवेदन के प्रारूप प्रपत्र-1 तकनीकी बिड के साथ आवेदन शुल्क के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट रू0 2,360.00 (18 % GST सहित) जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड के नाम रानीखेत में देय हो, संलग्न करना होगा।
2. वित्तीय बिड प्रपत्र-2 के भाग- 1 से भाग-5 तक अलग लिफाफे में मुहर बन्द हो, जिसे आवेदन के साथ जमा करना होगा।
3. पंजीकरण हेतु बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद रू0 5.00 लाख, वैधता तिथि 31.03.2023 जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो, आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
4. वर्ष 2019-20 का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 50.00 करोड़ होने का सी0ए0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।
5. Central Insecticides Board (CIB) का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की पठनीय प्रमाणित प्रति।
6. रसायन/बायोफर्टीलाइजर आदि बनाने (Manufacture Licence) का प्रमाण पत्र।
7. बायोफर्टीलाइजर की सेल्फ लाईफ 18 माह होने का प्रमाण पत्र।

8. किसी भी फर्म/कम्पनी द्वारा जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर की न्यूनतम 3 वर्षों की उत्पादन/आपूर्ति का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. फर्म/कम्पनी के विरुद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद/विधिक, अपराधिक कार्यवाही अथवा ब्लैकलिस्ट किया गया हो, जैसी भी स्थिति हो सूचित करते हुए शपथ पत्र रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप में जमा करना होगा (विवादित न होने का शपथ पत्र)।
10. जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर की आपूर्ति के पश्चात् जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर की समाप्ति तिथि (Expiry Date) तक अपने आप खराब नहीं होने की गारन्टी हेतु गारन्टी प्रदान करने, कीट व्याधि नाशकों के खराब होने पर निःशुल्क जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर को बदलना होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में घोषणा पत्र संलग्न करनी होगी।
11. फर्म/कम्पनी को उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकृत विक्रेता का GSTIN No. का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
12. फर्म/कम्पनी द्वारा अपने तथा अपने समस्त अधिकृत विक्रेताओं के जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर का लाईसेन्स की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
13. उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में एक समान दरों पर जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टिनेशन) सहित देनी होगी, जिसके सम्बन्ध में फर्म/कम्पनी के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी।
14. देश से बाहर की कम्पनी होने पर भारत सरकार द्वारा देश में जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर की आपूर्ति किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. फर्म/कम्पनी द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान लाभान्वित किये गये किसानों में से कम से कम 05 किसानों के नाम, पता व मोबाईल नम्बर, जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर का नाम, प्रयोग की गई मात्रा, जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर के प्रयोग उपरान्त परिणामों एवं आपूर्ति के दिनांक सहित सूची संलग्न करनी होगी।
16. फर्म/कम्पनी द्वारा जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
17. फर्म/कम्पनी को ISO प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
18. फर्म/कम्पनी को रु0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु दी जा रही दरों से कम दरों पर फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर की आपूर्ति नहीं की जा रही है।
19. पंजीकरण हेतु वित्तीय विड में अंकित प्रत्येक जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर के न्यूनतम पैकिंग के शील्ड पैकेट नमूने के तौर पर कार्यालय-निदेशक, बागवानी मिशन, देहरादून में जमा करना होगा।
20. आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी को अपनी प्रोफाईल उपलब्ध करानी होगी।

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड  
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु मूल निर्माता फर्मों/कम्पनियों के दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (Eoi) हेतु आवश्यक अभिलेख प्रपत्र-1 तकनीकी बिड

क्र.सं	विवरण	आवश्यक अभिलेख का पृष्ठ संख्या
1	आवेदक/निर्माता फर्म/कम्पनी का नाम व पता- (फर्म/कम्पनी के पैड पर स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य है)	
2	आवेदक/निर्माता फर्म/कम्पनी द्वारा नियुक्त अधिकृत विक्रेता का नाम व पता - (फर्म/कम्पनी के पैड पर स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य है)	
3	आवेदक/निर्माता फर्म/कम्पनी को अपने पैड पर फर्म/कम्पनी का विस्तृत प्रोफाइल संलग्न करनी होगी।	
4	अभिव्यक्ति की अभिरूचि (Eoi) हेतु प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का विवरण - ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... धनराशि रु0..... बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम-	
5	बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो, का विवरण- बैंक गारन्टी संख्या..... बैंक का नाम.....वैधता तिथि..... धनराशि रु0.....	
6	आवेदक/निर्माता फर्म/कम्पनी का पैन कार्ड नम्बर-..... (कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)	
7	आवेदक/निर्माता फर्म का जी.एस.टी. नम्बर-..... (छायाप्रति संलग्न करें)	
8	आवेदक/निर्माता फर्म/कम्पनी का जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर का लाईसेन्स की छायाप्रति।	
9	आवेदक/निर्माता फर्म/कम्पनी के अधिकृत विक्रेताओं का जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर बिक्री का लाईसेन्स की छायाप्रति।	
10	आवेदक/निर्माता फर्म एवं कम्पनी के उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकृत विक्रेता का GSTIN No- .....का (GSTIN का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)।	
11	आवेदक/निर्माता फर्म/कम्पनी द्वारा एक या अधिक प्रकार के जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर निर्माण का न्यूनतम 3 वर्षों की आपूर्ति का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
12	आवेदक/निर्माता फर्म/कम्पनी को विगत 03 वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रु0 50.00 करोड़ होने का सी0ए0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।	
13	Central Insecticides Board (CIB) का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की पठनीय प्रमाणित प्रति।	
14	रसायन/बायोफर्टीलाइजर आदि बनाने (Manufacture Licence) का प्रमाण पत्र।	
15	बायोफर्टीलाइजर की सेल्फ लाईफ 18 माह होने का प्रमाणपत्र।	
16	आवेदक फर्म/कम्पनी के विरुद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद/विधिक, अपराधिक कार्यवाही अथवा ब्लैकलिस्ट किया गया हो, जैसी भी स्थिति हो सूचित करते हुए शपथ पत्र रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप में जमा करना होगा (विवादित न होने का शपथ पत्र)।	
17	आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर की पैकिंग पर समाप्ति (expiry) तिथि अंकित किया जाना होगा। जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर की आपूर्ति के उपरान्त पर 9 माह से कम मान्य नहीं होगा, के सम्बन्ध में घोषणा।	
18	आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर की आपूर्ति के पश्चात् कीट/व्याधि नाशकों की समाप्ति तिथि (Expiry Date) तक अपने आप खराब न होने की गारन्टी हेतु गारन्टी प्रदान करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अन्यथा की स्थिति में निःशुल्क जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर को बदलना होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में घोषणा संलग्न करनी होगी।	
19	उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में एक समान दरों पर जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टीनेशन) सहित देनी होगी, जिसके सम्बन्ध में फर्म/कम्पनी के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी।	
20	देश से बाहर की कम्पनी होने पर भारत सरकार द्वारा देश में जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बॉयो फर्टीलाइजर की आपूर्ति किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	

21	फर्म द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान लाभान्वित किये गये किसानों में से कम से कम 05 किसानों के नाम, पता व मोबाईल नम्बर, कीट/व्याधि नाशकों का नाम, प्रयोग की गई मात्रा, कीट/व्याधि नाशकों के प्रयोग उपरान्त परिणामों एवं आपूर्ति के दिनांक सहित सूची संलग्न करनी होगी।	
22	आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की दी जा रही दरें न्यूनतम हैं, दी दरों से कम पर फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को आपूर्ति नहीं की जा रही है और न ही कम दरों पर पंजीकरण की वैधता तिथि तक आपूर्ति की जायेगी यदि अधिक दरों पर आपूर्ति किये जाने की शिकायत/ साक्ष्य सहित प्राप्त होने पर फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/कम्पनी की होगी।	
23	आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा लीगल क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत देहरादून होगा (जिसके सम्बन्ध में फर्म/कम्पनी के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी)	
24	आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
25	आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोत्तरी/परिवर्तन किया जाता है तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान को तत्काल उपलब्ध करायेगा (इस आशय का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)	
26	आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा पंजीकरण उपरान्त कम्पनी को जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर के उपयोग की तकनीकी प्रशिक्षण चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को नि:शुल्क प्रदान करना होगा (इस आशय का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)	
27	आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि फर्म/कम्पनियों द्वारा विक्रय किए गए उन्नत जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी (सहमति सम्बन्धी स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)	
28	आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की Quality Assurance हेतु सक्षम स्तर से प्राप्त परीक्षण आख्या संलग्न करनी होगी।	
29	आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा देश से बाहर की फर्म/कम्पनी होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण संलग्न करना होगा।	
30	आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा आवेदक की अपनी स्वयं की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट/प्लान्ट मशीनरी होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य एवं प्लान्ट का विस्तृत विवरण संलग्न करना होगा।	
31	आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा ISO प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
32	पंजीकरण हेतु वित्तीय विड में अंकित प्रत्येक जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैन्युअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर के न्यूनतम पैकिंग के शील्ड पैकेट नमूने के तौर पर कार्यालय- निदेशक, बागवानी मिशन, देहरादून में जमा करना होगा।	

नोट – उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होंगे तथा प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा कि उपरोक्त सभी कॉलम में दी गयी सूचनाएँ सत्य एवं प्रमाणित हैं अभिव्यक्ति की अभिरुची (EoI) के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जाये। आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी द्वारा समस्त अभिलेख स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करने होंगे तथा पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तों पर सहमति हेतु फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।

शपथ पत्र— मेरे द्वारा उपरोक्त अभिव्यक्ति की अभिरुची (EoI) की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तों पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।



फर्म का नाम व पता  
फोन न0 फैक्स/ई.मेल

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड  
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की दरें प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप-2 का वित्तीय बिड भाग-1

Insectisides

Sl. No.	Name and address of Manufacturing firm/company	Chemical Name	Packing Required (in ml/gm)	Rate (Per Kg/ltr) including all taxes	Name and address of Dealer in Uttarakhand with GSTIN No. and Licence No
01	02	04	05	06	07
		Bifenthrin 10 EC	100ml.		
		Dimethoate 30 % E.C.	250ml		
		Chlorpyriphos 20% EC	250ml		
		Deltamethrin 2.8 % E.C.	250ml		
		Malathion 50% E.C.	100ml		
		Quinalphos 25 % E.C.	250ml		
		Imidacloprid 17.8%SL	100ml		
		Imidacloprid 78 WP	100 gm		
		Propargite 57%EC	100ml		
		Fipronil 0.3GR	1000gm		
		Thiamethoxam 25%WG	100gm		
		Carbosulfan 25%SC	100ml		
		Chlorantriniprole 18.5 SC	30ml		
		Fenaxaquin 10 EC	100ml		
		Chlorantriniprole 0.4GR	1kg		
		Zinc Phosphide (Bait)	500ml		
		Hexythiazox 5.45 EC	250ml		
		Oxydemeton-methyl 25EC	250ml		
		Chlorantraniliprole 18.5% SC	30 ml		
		Chlorantraniliprole 18.5% SC	100 ml		
		Fenazaquin 10.21% EC	100 ml		
		Flubendiamide 39.5% SC	100 ml		
		Lambda Cyhalothrin 5 % EC	100 ml		
		Acetamipride 20 Sp	1 kg		
		Abamectin 1.9% EC	100 ml		
		Diafenthiuron 50 % WP	250 gm.		

फर्म/कम्पनी का नाम.....

फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....

फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि का नाम.....

फर्म/कम्पनी की मुहर.....

१



निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड  
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

जैविक / रसायनिक कीट / व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की दरें प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप-2 का वित्तीय बिड भाग-2

**Fungicides**

Sl. No.	Name and address of Manufacturing firm/company	Chemical Name	Packing Required (in ml/gm)	Rate (Per Kg/ltr) including all taxes	Name and address of Dealer in Uttarakhand with GSTIN No. and Licence No
01	02	04	05	06	07
		Mancozeb 75 % W.P.	500gm		
		Copper Oxychloride 50 % W.P.	500gm		
		Carbendazim 50 % W.P.	100gm		
		Metalaxyl 8 % + Mancozeb 64 %	100gm		
		Propineb 70 % W.P.	100gm		
		Zineb 78% W.P.	250gm		
		Streptocycline	6gm		
		Tree Spray Oil	20Lt		
		Dodine 65 % W.P.	100gm		
		Tebuconazole 50%+ Trifloxystrobin 25% WG	100gm		
		Tebuconazole 25.9% EC	100 ml		
		Azoxystrobin 18.2+Difenoconazole 11.4 SC	200ml		
		Azoxystrobin 23 % SC	250 ml		
		Sulphur 80%	1000gm		
		Captan 75% WP	500gm		
		Hexaconazole 5% SC	100 ml		
		Chlorothalonil 75% WP	250 gm		
		Thiophanate methyl 70 wp	250 gm		
		Difenoconazole 25 EC	100 ml		
		Dimethomorph 50% WP	100 gm		
		copper carbonate	500 gm		
		Red lead Oxide	500 gm		

फर्म / कम्पनी का नाम.....

फर्म / कम्पनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....

फर्म / कम्पनी के प्रतिनिधि का नाम.....

फर्म / कम्पनी की मुहर.....

३

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड  
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की दरें प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप-2 का वित्तीय बिड भाग-3

**Bio-Pesticides**

Sl. No.	Name and address of Manufacturing firm/company	Chemical Name	Packing Required (in ml/gm)	Rate (Per Kg/ltr) including all taxes	Name and address of Dealer in Uttarakhand with GSTIN No. and Licence No
01	02	04	05	06	07
		Beauveria bassiana 1%Wp Min cfu1x10 <sup>8/gm</sup> (Powder form)	250gm		
		Beauveria bassiana 1-2 %AS Min cfu1x10 <sup>8/ml</sup> (Liquid form)	250ml		
		Metarhizium anisoplae 1-2 %AS Min cfu1x10 <sup>8/ml</sup>	250ml		
		Trichoderma viride 1%Wp cfu2x10 <sup>6/gm</sup> (Powder form)	250gm		
		Trichoderma harzianum 1-2% AS Min cfu2x10 <sup>6/ml</sup> (Liquid form)	250ml		
		Pseudomonas fluorescence 1%Wp cfu 1x10 <sup>8/gm</sup> (Powder form)	250gm		
		Pseudomonas fluorescence 1-2%AS Min cfu 1x10 <sup>8/ml</sup> (Liquid form)	250ml		
		Bacillus thuringiensis cfu 1x10 <sup>8/gm</sup>	250gm		
		Neem Oil (Azadirachtin) 1500ppm	250ml		
		Bacillus Subtilis 1-2AS Min cfu 1x10 <sup>8/ml</sup>	250ml		

फर्म/कम्पनी का नाम.....

फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....

फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि का नाम.....

फर्म/कम्पनी की मुहर.....

१

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड  
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

जैविक / रसायनिक कीट / व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो फर्टीलाइजर की दरें प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप-2 का वित्तीय बिड भाग-4

**Bio-Fertilizers**

Sl. No.	Name and address of Manufacturing firm/company	Chemical Name	Packing Required (in ml/gm)	Rate (Per Kg/ltr) including all taxes	Name and address of Dealer in Uttarakhand with GSTIN No. and Licence No
01	02	04	05	06	07
		<b>Bio-NPK(Organic Foliar Spray-10:10:10)</b>	250ml		
		<b>Azotobacter</b> (Liquid form minimum CFU 1x10 <sup>8</sup> cells/ml)	250ml		
		<b>Azospirillum</b> (Liquid form minimum CFU 1x10 <sup>8</sup> cells/ml)	250ml		
		<b>Phosphate Solubilising bacteria</b> (Liquid form minimum CFU 1x10 <sup>8</sup> cells/ml)	250ml		
		<b>Potash Mobilizing bacteria</b> (Liquid form minimum CFU 1x10 <sup>8</sup> cells/ml)	250ml		
		<b>Mycorrhiza</b> (Total viable propagules 100/gm of finished product) powder from minimum PH 6.0 to 7.5	5 kg		
		Neem Cake Granules	20 kg		
		Liquid Consortia (Min cfu 5x10 <sup>8</sup> cells/ml.)	250ml		
		Sulphur-Iron Solublizer CfU 1x10 <sup>8</sup> gm	3kg		
		Plant Growth Regulator Rhizobacteria (Min CFU 1x10 <sup>8</sup> cells/ml.)	250ml		

फर्म / कम्पनी का नाम.....

फर्म / कम्पनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....

फर्म / कम्पनी के प्रतिनिधि का नाम.....

फर्म / कम्पनी की मुहर.....

५

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड  
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

जैविक/रसायनिक कीट/व्याधि नाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, आर्गेनिक मैनुअर (Manure) एवं बाँयो  
फर्टीलाइजर की दरें प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप-2 का वित्तीय बिड भाग-5

**Micronutrient**

Sl. No.	Name and address of Manufacturing firm/company	Chemical Name	Packing Required (in ml/gm)	Rate (Per Kg/ltr) including all taxes	Name and address of Dealer in Uttarakhand with GSTIN No. and Licence No
01	02	04	05	06	07
		For Fruits and vegetables Soil Application uttrakhand/U.P Grade (Zinc-6.0%, Iron-3.0% Manganese-1.5%, copper-0.5%,PH-3.5 ± 0.25, Solubility-94%)	5 Kg.		
		For Fruits and vegetables Foliar spray uttrakhand Grade (Zinc-3%, Iron-1.5%, copper-0.5% Boron-0.5%. PH-3.5±0.25, Solubility-94%)	500 ml.		
		Calcium EDTA	100 gm		
		Zink EDTA	100 gm		
		Iron EDTA	100 gm		
		Copper EDTA	100 gm		

फर्म/कम्पनी का नाम.....

फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....

फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि का नाम.....

फर्म/कम्पनी की मुहर.....

३